भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3479
दिनांक 17.12.2024 को उत्तरार्थ

ग्राम विकास

3479. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः
श्री दरोगा प्रसाद सरोजः
डॉ. कल्याण वैजीनाथराव कालेः
श्री बलवंत बसवंत वानखडेः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पंचायत स्तर पर किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विगत पांच वर्षों के दौरान कितनी धनराशि की आवश्यकता रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में गांवों के विकास के लिए केंद्रीय सहभागिता बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश के गांवों और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के दौरान विकास कार्यों के लिए केंद्रीय सहभागिता के अंतर्गत कितनी धनराशि जारी की गई है और उक्त मद के अंतर्गत कितने विकास कार्य किए गए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् भी उनके निर्वाचन नहीं हुए हैं, यदि हां, तो त्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वाशासन संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् निर्वाचन न हो पाने के पीछे क्या कारण हैं;

(च) सरकार द्वारा समय पर निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किए गए किसी संप्रेषण का ब्यौरा क्या है;

(छ) उत्तर प्रदेश की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् भी निर्वाचन न कराये जाने के क्या कारण है;

(ज) क्या सरकार न्यायालयों द्वारा अतीत में ग्रामीण निकाय निर्वाचनों में विलंब को गंभीरता से लिए जाने से अवगत है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भविष्य में क्या कार्रवाई की जाएगी; और

(झ) क्या उक्त वर्णित उद्देश्य के लिए आवंटित निधि के दुरुपयोग संबंधी कोई मामला प्रकाश में आया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया की मुख्य विशेषता क्या हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ग) केंद्रीय वित्त आयोगों से प्राप्त अनुदानों का उपयोग करके, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर पंचायतें स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्त स्थिति बनाए रखने, बुनियादी पेयजल आपूर्ति सेवाएं प्रदान करने, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण और गांव की सड़कों के निर्माण और मरम्मत जैसे विभिन्न कार्य करती हैं। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान, चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोगों के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को कुल 2,59,869.13 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। विशेष रूप से, इसी अवधि के लिए उत्तर प्रदेश में आरएलबी के लिए 42,813 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। निधियों का आवंटन एक वित्त आयोग से दूसरे वित्त आयोग में भिन्न होता है, जो क्रमिक आयोगों द्वारा अपनाए गए मानदंडों पर निर्भर करता है।

ग्राम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को मजबूत करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) तीन योजनाएं लागू कर रहा है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, साथ ही ग्राम पंचायत भवन और सहायक उपकरणों सहित अवसंरचनात्मक सहायता भी प्रदान की जाती है। पंचायतों का प्रोत्साहन (आईओपी) योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने वाली पंचायतों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसमें सेवा वितरण और जन कल्याण में सुधार के लिए उनके श्रेष्ठ कार्य को मान्यता दी जाती है। ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को निधि देती है, जिसका उद्देश्य पंचायतों के डिजिटलीकरण से पीआरआई के कामकाज में दक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता को बढ़ाना है ताकि उनके समग्र परिवर्तन हो सके (इस योजना के तहत राज्यों को कोई धनराशि जारी नहीं की जाती है)। पिछले पांच वर्षों में, आरजीएसए और आईओपी योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 3231.80 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिनमें से 474.56 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश राज्य को जारी किए गए।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्राम विकास के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी एनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) जैसी प्रमुख परिसंपत्ति-सृजन से जुड़ी रोजगार और बुनियादी ढांचा सृजन योजनाओं को क्रियान्वित करता है।

(घ) से (झ) पंचायतें "स्थानीय सरकार" का हिस्सा होने के कारण, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची के अनुसार राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इसलिए, पंचायतें संविधान के प्रावधानों का पालन करते हुए संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के अनुसार स्थापित और कार्य करती हैं।

संविधान के अनुच्छेद 243K के अनुसार, मतदाता सूचियों की तैयारी और सभी पंचायत चुनावों के संचालन की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग में निहित है, जिसका अध्यक्ष राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त, राज्य विधानमंडल पंचायत चुनाव से संबंधित कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 243E के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक की तिथि से पाँच वर्ष का होता है, तथा चुनाव इस अवधि के समाप्त होने से पहले या विघटन के छह महीने के भीतर करवाए जाने चाहिए। अनुच्छेद 243-

O के तहत, पंचायत चुनाव की वैधता को केवल राज्य विधानमंडल कानूनों द्वारा परिभाषित उचित प्राधिकारी को प्रस्तुत चुनाव याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है।

संवैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि समय पर पंचायत चुनाव कराने, संबंधित अदालती मामलों का प्रबंधन करने, चुनाव निधि आवंटित करने और निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित राज्य के अधिकार क्षेत्र में आती है।

पंचायती राज मंत्रालय समय-समय पर राज्यों को एड्वाइजरी जारी करता है, जिसमें इन संवैधानिक आदेशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा विधिवत गठित पंचायतों के लिए केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुदान की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है।

महाराष्ट्र में पंचायत चुनावों के संबंध में, महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि ग्राम पंचायत चुनाव नियमित रूप से उनके कार्यकाल के अंत में आयोजित किए जाते हैं। हालाँकि, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के संबंध में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) 19756/2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों के कारण 26 जिला परिषदों और 289 पंचायत समितियों के चुनावों में देरी हुई है। एसएलपी 19756/2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद इन चुनावों को कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर कराने के प्रयास किए गए थे, लेकिन पिछले कार्यकाल में कोविड-19 महामारी और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के कारण इनमें थोड़ी देरी हुई थी।

***